न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी – दिव्या (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 134/2024
अनुवान श्रवणकुमार आदि बनाम गफूर आदि
निर्णय दिनांक :– 23.06.2025

1. श्रवणकुमार पुत्र नन्दराम जाति ब्रह्मण उम्र 50 वर्ष निवासी रातुसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान।
2. श्यामसुन्दर पुत्र नन्दराम जाति ब्रह्मण उम्र 48 वर्ष निवासी रातुसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गफूर पुत्र नेक मोहम्मद जाति काजी फकीर निवासी वार्ड नं. 28 सरदारशहर जरिये मुख्त्यारआम आरिफश्या पुत्र श्योकतश्या जाति काजी निवासी सिवानी बास कस्बा सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।
2. आमीन पुत्र स्व. नेक मोहम्मद जाति काजी फकीर निवासी वार्ड नं. 28 सरदारशहर जिला चूरू
3. लियाकत पुत्र स्व. नेक मोहम्मद जाति काजी फकीर निवासी वार्ड नं. 28 सरदारशहर जिला चूरू
4. बुलकेश बैवा मुन्शी जाति काजी फकीर निवासी वार्ड नं. 28 सरदारशहर जिला चूरू
5. आरिफ पुत्र मुन्शी जाति काजी फकीर निवासी वार्ड नं. 28 सरदारशहर जिला चूरू
6. मैना बैवा सराजुदीन जाति काजी फकीर निवासी वार्ड नं. 28 सरदारशहर जिला चूरू
7. रफीक पुत्र सराजुदीन जाति काजी फकीर निवासी वार्ड नं. 28 सरदारशहर जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।
9. मेघवाल छात्रावास समिति जैतासर जरिये सचिव कार्यालय वादगत भूमि रोही उड़सर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।
10. ज्याणीदेवी पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी ग्राम राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।
11. रमज्यानश्या पुत्र नामालुम जाति काजी निवासी सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

नजरसानी प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 229 (2) रा. का. अधि. 1955 सहपठित आदेश 47 जा.दी.

उपस्थितिः–
1. श्री गोपाल कृष्ण सिहाग, अजय कुमार सारण, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
2. श्री अमित कुमार सैनी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 01
3. श्री मोहसिन सांखला, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 02 ता 07
4. राज पैरोकार, अप्रार्थी सं. 08
5. श्री शंकरदास स्वामी, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थीगण सं. 09 ता 10
6. एक पक्षीय कार्यवाही वास्ते अप्रार्थी सं. 11

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 18.11.2024 को नजरसानी इस आशय का पेश किया गया कि तहसील सरदारशहर के गांव उडसर भेभरा की रोही में स्थित कृषि भूमि गत ख.नं. 01 तादादी 17.12 बीघा हाल ख.नं. 01 तादादी 04.4500 हैक्टे. भूमि में से प्रार्थी सं. 01 श्रवणकुमार ने 00.09 बीघा भूमि प्रतिफल के बदले दिनांक 13.05.2011 से खरीद करके मौके पर विक्रेता से कब्जा प्राप्त कर कार्यालय उप–पंजीयक, सरदारशहर में अपने हक में बैनामा पंजीकृत करवा लिया तथा प्रार्थी सं. 02 श्यामसुन्दर ने 00.08 बीघा भूमि प्रतिफल के बदले दिनांक 13.05.2011 को खरीद करके मौके पर विक्रेता से कब्जा प्राप्त कर कार्यालय उप–पंजीयक, सरदारशहर में अपने हक में बैनामा पंजीकृत करवा लिया। प्रार्थीगण के हक में पंजीकृत बैनामों से बाद तस्दीक

नामान्तरणकरण प्रार्थीगण के नाम अपनी-अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि की राजस्व अभिलेखो में खातेदारी अभिलेखित की गई। गत बन्दोबस्त में गत ख.नं. 01 तादादी 17.17 बीघा से हाल ख. नं. 01 तादादी 04.4500 हैक्टे. भूमि कायम की गई। हाल ख.नं. 01 तादादी 04.4500 हैक्टे. भूमि में से प्रार्थी सं. 01 की राजस्व अभिलेखो में 101/4450 हिस्सा व प्रार्थी सं. 02 की 1137/44500 हिस्सा के खातेदार, काबिज, काश्तकार हो गये। उपर्युक्त कृषि भूमि के मुश्तरका खाता के विभाजन, चिरस्थाई व्यादेश एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड के लिए राजस्व वाद सं. 579/2021 उनवानी गफूर बनाम आमीन वगैरा दिनांक 26.11.2021 को अदालतवाला में अप्रार्थी सं. 01 द्वारा संस्थित किया गया एवं बाद सरिस्ता रिपोर्ट के अवलोकन के दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की स-शुल्क तलबी के आदेश पारित किये गये। मूल वाद के प्रतिवादीगण सं. 01 ता 06 की ओर से दिनांक 29.04.2022 को अधिवक्ता इलियास खांन चायल ने उपस्थित होकर आईन्दा वकालतनामा पेश करने की अन्डरटेकिग दी गई तथा प्रतिवादीगण सं. 07 ता 12 के इन्तजार तामील में पेशी 29.06.2022 नियत की गई। दिनांक 16.12.2022 को प्रतिवादीगण सं. 08 ता 12 की तलबी हेतु रजिस्ट्रर्ड डाक से सम्मन व तलवाना पेश करने का आदेश पारित कर पेशी 10.10.2023 नियत की गई। फर्द अहकाम दिनांक 10.10.2023 से 29.07.2024 के मध्य की समयावधि में प्रतिवादीगण सं. 08 ता 11 की तामील से मुतलिक कोई आदेश पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। इसके अलावा सम्पूर्ण फर्द अहकाम के पठन से अदालतवाला द्वारा चस्पांदगी से तामील का भी कोई आदेश दिया जाना प्रकट नहीं होता है। माननीय न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 वादी द्वारा फौजदारी प्रकरण सं. 01/2022 की प्रमाणित प्रति पेश किया जाना भी कतई प्रकट नहीं होता है। फौजदारी प्रकरण सं. 01/2022 की प्रमाणित प्रति अभिलेख पर पेश हुए बिना उसका संज्ञान लेते हुए उसके आधार पर राजस्व वाद में प्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित करने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। विधि द्वारा स्थापित न्यायालयों द्वारा भावनाओ के आधार पर आदेश पारित नहीं कर पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही विधि एवं नियमों के अनुसार ही आदेश पारित किये जा सकते है। इसलिए अदालतवाला द्वारा विधि, नियमों, साक्ष्य एवं तथ्यों के आलोक में ही निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों का अनुसरण करके ही पारित किये जाने कानुनन सम्भव है। अदालतवाला द्वारा विधिक चूक एवं पत्रावली से स्पष्ट प्रकट स्थिति के अवलोकन की चूक से पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2024 के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रार्थीगण की ओर से पेश किया गया।

निर्णय एवं डिक्री जेर नजरसानी खिलाफ कानून, कानूनी प्रक्रिया, पत्रावली पर स्पष्ट प्रकट तथ्यों व विधि, विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों की अनदेखी तथा अदालतवाला के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से विधिवत तामील के अभाव में पैरवी नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा के समक्ष आ पाने से कानूनी प्रावधानों, पत्रावली पर उपस्थित तथ्यों के अभाव में प्रदत्त हुए है। निर्णय एवं डिक्री जेर नजरसानी प्रार्थना पत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त / विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों, प्रावधानों की अनदेखी में प्रदत्त होने के कारण पुनर्विलोकित किये जाने योग्य है। रोही मौजा उडसर भेभरा में स्थित कृषि भूमि हाल ख.नं. 01 तादादी 04.4500 हैक्टे. नया खाता सं. 26 (पुराना 24) संवंत 2074-2077 में प्रार्थी सं. 01 श्रवणकुमार 101/4450 हिस्सा व प्रार्थी सं. 02 श्यामसुन्दर 1137/44500 हिस्सा के खातेदार, काबिज, काश्तकार अंकित है। प्रार्थीगण उपर्युक्त जमाबन्दी में गांव रातुसर के निवासी होना स्पष्ट अंकित होते हुए भी अप्रार्थी सं. 01 वादी ने

राजस्व वाद सं. 579/2021 में गौण–प्रतिवादीगण सं. 09 व 10 के निवास स्थान का पत्ता करणी कॉलोनी कस्बा सरदारशहर जान बुझकर बिना किसी आधार के ही दुर्भावनापूर्वक अंकित करके वाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक प्रार्थीगण पर दावा में गलत पत्ता अंकित होने से विधिवत तामील नहीं होने से प्रार्थीगण को प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के मुताबिक सबुत एवं सुनवाई का अवसर ही नहीं मिलने से निर्णय एवं डिक्री जेर नजरसानी हर सूरत में काबिले अपास्त है। माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं. 01 द्वारा आदेश 8 निमय 10 व 151 जाप्ता दीवानी के तहत आवेदन दिनांक 16.08.2024 को पेश किया गया तथा दिनांक 16.08.2024 को ही शपथ पत्र पी. डब्ल्यु 1 आरिफश्या व पी. डब्ल्यु 2 रविकान्त दिनांक 16.08.2024 को प्रस्तुत किये गये। स्थापित विधि के मुताबिक अप्रार्थी सं. 01 वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र कानूनन शपथ पत्र की तारीफ में ही आते है। इसके अलावा पी. डब्ल्यु 1 आरिफश्या व पी. डब्ल्यु 2 रविकान्त ने दिनांक 16.08.2024 को न्यायालय में उपसंजात होकर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट प्रमाणित होता है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा विधि एवं नियमों के आलोक में विचार किये बिना ही बिना साक्ष्य के ही निर्णय एवं डिक्री जेर नजरसानी पारित किया जाना रिकॉर्ड पर स्पष्टतः प्रथम दर्शनीय भूल व गलती का मार्जन पुनर्विलोकन आवेदन में किया जाना सम्भव है। माननीय न्यायालय के समक्ष वादी अप्रार्थी सं. 01 द्वारा आवेदन आदेश 8 नियम 10 व 151 जाप्ता दीवानी के तहत दिनांक 16.08.2024 को पेश किया गया तथा इस दिनांक को पी. डब्ल्यु 1 आरिफश्या व पी. डब्ल्यु 2 रविकान्त के शपथ पत्र पेश किये गये तथा बिना किसी साक्षी के साक्ष्य के ही दिनांक 16.08.2024 को दस्तावेजात पर प्रदर्श–1 ता 3ए डाले गये। स्थापित विधि के मुताबिक बिना किसी साक्षी की साक्ष्य के किसी दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं डाले जा सकते। इसके अलावा माननीय न्यायालय के समक्ष पी. डब्ल्यु 1 आरिफश्या व पी. डब्ल्यु 2 रविकान्त के प्रस्तुत शपथ पत्र विधि एवं नियमों के मुताबिक तस्दीक करवाकर भी पेश नहीं किये गये है। माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं. 01 वादी द्वारा आवेदन आदेश 8 नियम 10 व 151 जाप्ता दीवानी के तहत दिनांक 16.08.2024 को पेश किया गया है। लेकिन माननीय न्यायालय की पत्रावली की फर्द अहकाम दिनांक 05.08.2024 के पठन मात्र से ही प्रकट होता है कि अप्रार्थी सं. 01 वादी द्वारा आवेदन दिनांक 16.08.2024 को पेश किये जाने से पहले ही दिनांक 05.08.2024 को ही आवेदन स्वीकार किया जाना स्पष्टतः तथ्यो एवं विधि के प्रावधानों के विपरित होने से प्रथम दर्शनीय गलती होना प्रकट होती है। माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन दिनांक 16.08.2024 को पेश किया जाना पत्रावली से स्पष्ट साबित है। आवेदन दिनांक 16.08.2024 को पेश किये जाने से पहले ही दिनांक 05.08.2024 को ही आवेदन दिनांक 16.08.2024 निर्णित किया जाना भी स्पष्ट प्रमाणित है। इसलिए आदेश दिनांक 05.08.2024 आरम्भतः शून्य (Ab initio void) होने से इसी शून्य आदेश पर निर्णिय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2024 आधारित होने से प्रथम दृशनीय ही शून्य है। इसलिए वृहत्तर न्यायहित (In larger interest of Jultic) में अभिलेख के आमुख पर दृष्टव्य प्रत्यक्ष त्रुटि (Error apparent on the face of the record) होनी प्रमाणित है। इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध विधिक एवं सारभुत त्रुटि है। माननीय न्यायालय के द्वारा मुस्तरका खाता के विभाजन के वाद में विधि एवं नियमों के मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाकर अप्रार्थी सं. 08 से उभय पक्षकारान को सुचित कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर पक्षकारो को सूनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए अन्तिम डिक्री पारित किया जाना कानूनन सम्भव है। लेकिन अदालतवाला

द्वारा विधि एवं नियमों पर गोर किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री जेर नजरसानी पारित की होने से हर सूरत में काबिले निरस्त है।

अप्रार्थी सं. 01 की ओर से जबाब नजरसानी दिनांक 29.01.2025 को पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्य कतई निराधार, बेबुनियाद तथा वास्तविकता के विपरितं अंकित कर आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थीगण श्रवण व श्यामसुन्दर द्वारा हस्तगत दावा न. 579/2021 से सम्बन्धित कुर्की मु.नं. 01/2022 में दिनांक 22.12.2022 को एक प्रार्थना पत्र जरिये मुख्त्यारआम पेश कर उस में वाद सं. 579/2021 जैरकार होने का स्पष्ट अंकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का आचरण हमेशा से न्यायालय कार्यवाही को छिप–छिपकर देखना मात्र रहा है। चस्पान्दगी से तामील के बावजुद वाद सं. 579/2021 में हाजिर नहीं आये। कुर्की मुकदमा न. 01/2022 में श्रवण आदि खुद हाजिर आ गयें। जिसकी पेशी वाद सं. 579/2021 के साथ नियत रही। जो तथ्य न्यायिक अवेक्षणीय होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी गफूर के लिखित आवेदन पर सुनवाई के बाद प्रार्थीगण के आचरण को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण आदि के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत समझते हुए विधिवत आगामी सुनवाई कर हस्तगत निर्णय व डिक्री पारित की गई। न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त करवाये बिना ही प्रार्थीगण को नजरसानी आवेदन पेश करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से अन्दर मियाद नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नजरसानी का नहीं होकर अपीलीय आधारो का अंकन कर केवल मात्र अपने खिलाफ हुई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाने का असफल प्रयास मात्र होने से कानूनन पोषणीय नहीं होने से भारी कॉस्ट सही खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 02 ता 08 ने जबाब हेतु अनेको अवसर लेने के उपरान्त भी जबाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जबाब बन्द किया गया। अप्रार्थीगण सं. 09 ता 10 के अधिवक्ता द्वारा स्वैच्छया जबाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करते हुए फर्दअहकाम दिनांक 09.04.2025 पर स्पष्ट अंकित किया गया। अप्रार्थी सं. 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। प्रार्थी नजरासीन कर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने नजरसानी आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ति करते हुए कथन किया कि वाद सं. 579/2021 उनवानी गफूर बनाम आमीन आदि में न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की तामील चस्पान्दगी से करवाने का कोई आदेश दिया जाना पत्रावली के फर्दअहकाम से कतई प्रकट नहीं होता है। न्यायालय के आदेश के बिना तामील कुनिदा को मर्जी से चस्पान्दगी से तामील करवाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए चस्पान्दगी से तामील का कोई अर्थ नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 गफुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 8 नियम 10 व 151 जाप्ता दीवानी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कथन किया कि न्यायलय के समक्ष आवेदन दिनांक 16.08.2024 को पेश किया गया है। जो कि तत्कालिन पीठासीन अधिकारी के पृष्ठाकन से ही स्पष्ट प्रमाणित होता है। इसके अलावा इस आवेदन के अंत में R.O. & A.C. के नीचे तत्कालिन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है। किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पर पढ़/सुनकर और समझकर हस्ताक्षरित करने (Read Over and Affirmed Correct) का पृष्ठाकन न्यायालय द्वारा किये जाने का कोई कानून एवं नियम नहीं है। न्यायालय में आवेदन आदेश 8 नियम 10 व 151 जाप्ता दीवानी के तहत दिनांक 16.08.2024 को पेश किया गया। लेकिन दिनांक 16.08.2024 को प्रस्तुत

उपर्युक्त आवेदन पेश होने से पहले ही न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.08.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदन दिनांक 16.08.2024 को पेश किया गया तथा आदेश 8 नियम 10 व 151 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.08.2024 को ही स्वीकार किया जाकर पत्रावली में पेशी वादी साक्ष्य के लिए 16.08.2024 नियत की गई। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.08.2024 के अवलोकन से आदेशिका भी विधिसंगत नही होनी प्रकट होती है। न्यायालय आदेशिका में किसी गवाह को शपथ दिलाई जाने एवं दस्तावेज प्रदर्शित हुए का अंकन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा न्यायालय आदेशिका से गवाह पी.डब्ल्यू–1 व पी. डब्ल्यू–2 न्यायालय में उपस्थित होने के हस्ताक्षर भी नहीं है। वादी साक्षी–01 रविकांत एवं वादी साक्षी–02 आरिफश्या के शपथ पत्र दिनांक 16.08.2024 को शपथ आयुक्त के समक्ष तस्दीक होने प्रकट होते है। लेकिन वादी साक्षी–01 व 02 के शपथ पत्रों को देखने मात्र से ही प्रकट होता है कि दोनों ही गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये, ना ही शपथ पत्रों पर इस भांति का कोई अंकन ही है। वादी साक्षी–01 व वादी साक्षी–02 की मुख्य परीक्षा के शपथ पत्रों पर न्यायालय द्वारा **R.O. & A.C.** अंकित किया हुआ है तथा न्यायालय के तत्कालिन पीठासीन अधिकारी के शपथ पत्रों में दर्ज **R.O. & A.C.** के नीचे हस्ताक्षर किये हुए है, जिसका विधि एवं नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा वादी साक्षी–01 व 02 द्वारा मुख्य परीक्षा के प्रस्तुत शपथ पत्रों पर दस्तावेज प्रदर्श–1 ता प्रदर्श–3ए, दस्तावेजात को साबित करने की रंचमात्र भी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। दस्तावेज प्रदर्श–1 ता प्रदर्श–3ए पर तत्कालिन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। इसके अलावा न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.08.2024 के अवलोकन से ही प्रकट होता है कि तत्कालिन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2024 को ही वाद सं. 579/2021 निर्णित कर डिक्री कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 03.09.2024 को पुनः निर्णय सुनाया जाना आदेशिका से प्रकट होता है। वाद दिनांक 16.08.2024 को ही निर्णित कर डिक्री कर दिया गया। लेकिन निर्णिय एवं डिक्री पर दिनांक 03.09.2024 अंकित की हुई है। सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 16.08.2024 को ही की जानी पत्रावली से प्रमाणित होती है। इसलिए वृहत्तर न्यायहित (In larger interest of Jultic) में अभिलेख के आमुख पर दृष्टव्य प्रत्यक्ष त्रुटि (Error apparent on the face of the record) होनी प्रमाणित होने से प्रार्थीगण का नजरसानी आवेदन मन्जुर फरमाया जाकर न्यायहित में वाद सं. 579/2021 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2024 को निरस्त फरमाया जाकर मूल वाद संख्या 579/2021 उनवानी गफुर बनाम आमीन वगैरा की पत्रावली को वाजबे नम्बर पर लिया जाकर प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के तहत प्रार्थीगण को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर वाद निर्णित किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थ में निम्नाकित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. AIR 1960 J&K – 125
2. RLW 1954 – 148
3. 2023 (1) DNJ (SC) – 337
4. RRD 1978 – 206
5. 2009 (2) RRT – 1329
6. 2018-19 (Supp.) RRT – 556
7. 2012 (1) RRT – 450
8. 2024 (1) DNJ (Rev.) - 551
9. AIR 1954 – 526 (SC)
10. 2015(2) DNJ (Raj.) - 525
11. 2022(3) DNJ (Raj.) – 1125
12. 2017(2) CCC – 492 (Allahabad)
13. 2013(4) Cur.C.C. – 220 (M.P.)

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित आधार पुनराविलोकन आवेदन के आधार नहीं होकर अपील के आधार होने से अपील के आधारो पर नजरसानी आवेदन मन्जुर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा उनके विरूद्ध पारित एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त करवाये बिना नजरसानी आवेदन पेश करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का आवेदन किसी भी सूरत में अन्दर मियाद नहीं है। प्रार्थीगण के आवेदन से प्रथम दर्शनिय भूल होना कतई प्रकट नहीं होता है। प्रार्थीगण के आवेदन में रंचमात्र भी अंकन नहीं किया गया है। कि माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं. 579/2021 में पारित निर्णय में किस प्रकार प्रथम दर्शनिय भूल रही है। जिस कारण प्रार्थीगण का आवेदन मन्जुर फरमाया जा सके। न्यायालय द्वारा वाद सं. 579/2021 में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2024 हर प्रकार से विधि संवत होने से प्रार्थीगण का आवेदन मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधि का अध्ययन किया गया। इसलिए उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में प्रार्थीगण का नजरसानी आवेदन मन्जुर किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2024 स्वीकार किया जाकर न्यायालय के द्वारा वाद सं. 579/2021 उनवानी गफुर बनाम आमीन वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2024 को अपास्त किया जाता है तथा वाद सं. 579/2021 को पुनः वाजबे नम्बर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(दिव्या) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

(दिव्या) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)